न्यायालय चीफ सैटलमैंट कमीश्नर एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 02/2010(GCMS 2010/00006)

शेबी बाई पुत्री श्री राम सिंह उर्फ रामू सिंह पत्नी इन्द्र सिंह जाति लबाना सिख निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर**
2. **जीतो बाई** पुत्री राम सिंह पत्नी चरन सिंह जाति लबाना सिख साकिन कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **आसुदी बाई** पुत्री राम सिंह पत्नी दर्शन सिंह जाति लबाना सिख साकिन 1 एच बड़ा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. **शान्ति बाई** पुत्री राम सिंह पत्नि किशोर सिंह जाति लबाना सिख साकिन मोहलां तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विविध प्रकरण संख्या 120/2005(GCMS 2005/00027)

शेबी बाई पुत्री श्री राम सिंह उर्फ रामू सिंह पत्नी इन्द्र सिंह जाति लबाना सिख निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **जीतो बाई** पुत्री राम सिंह पत्नी चरण सिंह जाति लबाना सिख साकिन कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **उपपंजीयक, हिन्दुमलकोट** (केवल कृष्ण)

25.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्त श्री ओम प्रकाश बत्तरा एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री मनु भाटीवाल उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के पिता राम सिंह उर्फ रामू सिंह पुत्र बुरबक्श सिंह को भारत सरकार द्वारा जीवों के आधार पर चक 1 एच बड़ा, तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 25 में 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि राम सिंह व उसकी पत्नी लघी बाई को दो जीवों के आधार पर अलॉट हुई थी, राम सिंह का कोई लड़का नहीं था बल्कि चार लड़किया थी, शेबी बाई, शान्ति बाई, असुधी , शान्ति बाई थी। राम सिंह ने अपने जीवन काल में 03 लडकियों की शादी कर दी थी तथा जीतो बाई उस समय अविवाहित थी।

राम सिंह उर्फ रामू सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह का स्वर्गवास दिनांक 2 2.03.1968 को हो गया तथा राम सिंह की पत्नी लघी बाई का स्वर्गवास दिनांक 1960 हो गया था।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 02/2010 (GCMS No. 2010/00006)
शेबी बाई बनाम डीआरओ वगै.
विविध प्रकरण संख्या 120/2005 (GCMS No. 2005/00155)
शेबी बाई बनाम जीतो बाई वगै.
आदेश दिनांक 25.05.2026

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत राम सिंह उर्फ रामू सिंह का कोई लड़का नहीं था। रामसिंह व उसकी पत्नी लधी बाई ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत नही की, इसलिए निगरानीकर्त्ता का राम सिंह उर्फ राम सिंह की भूमि में 1/4 हिस्सा बनता है चूंकि निगरानीकर्त्ता तथा उसका पति बम्बई चले गये वही पर रहने लगे। जब वहां से आये तो अपना हिस्सा मांगा तो निगरानीकर्त्ता को पता चला कि जीतो बाई ने ग्राम पंचायत से गलत प्रमाण पत्र जारी करवा लिया और बहनों को मरा हुआ बताकर, लगभग जमीन की खातेदारी सनद अपने नाम दिनांक 02.02.1980 को सनद संख्या 291 जारी करवा के राजस्व रिकॉर्ड में अपने अकेले के नाम रकबा दर्ज करवा लिया।

उक्त सनद की जानकारी होने पर प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष डी.पी.सी एण्ड आर एक्ट की धारा 24 के तहत निगरानी पेश की। श्रीमान्जी ने कहा कि जब तक राम सिंह की लड़कियों की जांच नहीं हो पाती तब तक सनद कैंसिल नहीं की जा सकती, इसलिए श्रीमान् ने प्रार्थी की निगरानी संख्या 126/86 दिनांक 06.10.1987 को खारिज कर दीं और जिला पुर्नवास को राम सिंह की लड़कियों की जांच करने और जांच पश्चात प्रकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये।

जीतो बाई ने आदेश दिनांक 06.10.1987 के विरूद्ध डिप्टी जरलन कस्टोडियन राजस्थान, जयपुर के समक्ष धारा 33 के तहत पैटीशन की जो खारिज हो गई।

जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा श्रीमानजी के समक्ष दिनांक 06.10.1987 की पालना में राम सिंह के वारिसान की जांच करने के लिए सबूत प्रस्तुत किये, साथ में ही निगरानीकर्त्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला पुर्नवास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया कि जब तक जांच नहीं होती तब तक रकबा रिसीवर किया जावे, जिस पर जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 09.05.1989 को रकबा रिसीवर करने के आदेश दिये गये, जिस पर जिला पुर्नवास अधिकारी की पालना में तहसीलदार ने दिनांक 14.05.1989 को रकबा रिसीवर का कब्जा लिया गय।

रकबा रिसीवर होने के बाद जीतो बाई ने जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 23.05.1989 से रिसीवर हटाये जाने के आदेश दिये।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 02/2010 (GCMS No. 2010/00006)
शेबी बाई बनाम डीआरओ वगै.
विविध प्रकरण संख्या 120/2005 (GCMS No. 2005/00155)
शेबी बाई बनाम जीतो बाई वगै
आदेश दिनांक 25.05.2026

रिसीवर हटाये जाने के आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्त्ता ने सैटलमैंट कमीश्नर के समक्ष अपील पेश की, जिसमें सैटलमैंट कमीश्नर रकबा पुनः रिसीवर करने के आदेश दिये, जिसके विरूद्ध जीतो बाई ने चीफ सैटलमैंट कमीश्नर, समक्ष निगरानी पेश की, जो स्वीकार करके रिसीवर की कार्यवाही समाप्त कर दी तथा मामला जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पूर्व में चल था।

सैटलमैंट कमीश्नर व अति. जिलाधीश, श्रीगंगानगर ने दोनों पक्षों से सबूत लेकर मौका की जांच करने के बाद दिनांक 04.09.2004 को निर्णय दिया कि राम सिंह चार लड़किया है, जिसमे शेबी बाई भी उसकी एक लड़की है तथा प्रकरण श्रीमानजी के समक्ष भेज दिया गया।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 07.03.2005 को प्रस्तुत किया जिस पर उन्होनें दिनांक 28.03.2005 तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये।

सैटलमैंट कमीश्नर ने दिनांक 04.09.2004 को मामला श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जीतो बाई उक्त विवादित जमीन बेचान की फिराक में है, उसे रहन बैय से रोका जाये। जिस पर श्रीमान् ने दोनों पक्षकारों को सुनकर दिनांक 31.03.2005 को रकबा रहन बैय न करने का आदेश दिया गया तथा तारीख पेशी 26.04.2005 रखी गयी।

निगरानीकर्त्ता ने श्रीमान्जी के स्थगन आदेश दिनांक 31.03.2005 की प्रमाणित प्रति पेश कर दी थी, जिसमें जीबो बाई को रकबा रहन बैय करने हेतु पाबंद किया गया था, लेकिन उसने दिनांक 15.04.2005 को रजिस्टर्ड बैयनामा जगदेव सिंह पुत्र बसन सिंह के हक में कर दिया जबकि प्रकरण श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन था, जिस पर निगरानीकर्त्ता ने श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र, आदेश की अवहेलना का प्रस्तुत किया जो श्रीमानजी की अदालत में विचाराधीन है।

निगरानीकर्त्ता ने उक्त बैयनामें के विरूद्ध एक इस्तगासा दिनांक 09.09.2005 को सिविल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा (3)के तहत एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया, जिस पर एफ आई आर नं. 145/05 धारा 420,467,468,120बी

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आईपीपी का दर्ज किया गया लेकिन दूसरी पार्टी से मिलकर दिनांक 03.10.2005 को एफआईआर 22/05 लगा दी, जिस पर निगरानीकर्त्ता ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र तथा सबूत प्रस्तुत किये, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने दिनांक 20.09.2006 को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुलजिमान के खिलाफ 467, 471, 120 बी आईपीसी का प्रसंज्ञान लिया।

श्रीमान्‌जी के समक्ष निगरानी विचाराधीन थी, मगर डी.पी.सी. एण्ड आर एक्ट रिपिल होने के कारण कार्यवाही समाप्त कर दी थी। कार्यवाही समाप्त होने के बाद निगरानीकर्त्ता ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन इस इस आधार पर खारिज कर दी कि सनद के आधार पर जीतो के नाम राजस्व रिकॉर्ड में रकबा दर्ज हो गया जब तक सनद निरस्त नही हो जाती तब तक वाद प्रस्तुत का कारण उत्पन्न नही होता, केवल इस आधार पर निगरानीकर्त्ता का दावा व अपील खारिज हो गये।

सैटलमैंट कमीश्नर एवं अति. जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा श्रीमान् के निर्देश की पालना में राम सिंह की उत्तराधिकारी जांच दोनों पक्षकार को सुनकर आदेश दिनांक 09.09.2004 को पारित किया, जो आज भी प्रभावित है तथा निगरानीकर्त्ता राम सिंह की लड़की होने के कारण 1/4 हिस्सा की उत्तराधिकारी है।

जहां तक वारिसान का आदेश दिनांक 12.05.1970 का सवाल है, हालांकि ऐसा कोई आदेश हुआ ही नही है, क्योंकि ऐसा आदेश गैर निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया, ना ही ऐसा आदेश हो सकता है क्योंकि राम सिंह की चार लड़किया है, रामसिंह ने किसी लड़की के नाम कोई वसीयत नहीं की। जहां तक बी/आर रजिस्टर में नोट अंकित होना बताया गया है वह फर्जी नोट अंकित किया है इस सम्बन्ध में चीफ सैटलमैंट द्वारा बी/आर रजिस्टर में फर्जी इन्द्राज होने पर तमाम बी/आर रजिस्टर पर नोट अंकित कर दिया उसे काट दिया जैसा जानकारी हुई थी, जिस मामले में कोई अलग–अलग आदेश नहीं है, उसकी अपील करने की आवश्यकता नहीं है। अपील आदेश के खिलाफ होती है और दिनांक 12.05.1970 को कोई आदेश ही नहीं हैं।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

निगरानीकर्त्ता **द्वारा** अपील **बहस में यह कथन** किया है कि रामसिंह 1968 में मृत्यु हुई है जो दिनांक 22.06.1968 को हुई है। सुधी बाई उसकी पत्नी नहीं है बल्कि उसकी पत्नी लधी बाई है। सुधी बाई राम सिंह की लड़की है।

निगरानीकर्त्ता ने गांव के सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तथा पटवारी रिपोर्ट, तहसीलदार, रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे साबित है कि रामसिंह की चार लड़कियां है। इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता ने निगरानी स्वीकार की जाकर, सनद निरस्त करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि चक 1 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 25 की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि रामू सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह बतौर विस्थापित के आवंटित हुई थी रामूसिंह का स्वर्गवास वर्ष 1968 एवं सुधी बाई पत्नी रामू सिंह का स्वर्गवास 1966 में हो चुका है।

आवंटन में प्रार्थीगण का कहीं नाम अंकित नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिसमें प्रार्थीगण को मृतक रामू सिंह के साथ उनको बतौर परिवार के सदस्य एवं पुत्री के रूप में दर्शाया गया हो।

सेटलमैंट आफिसर, श्रीगंगानगर ने अपेन्डिक्स 21 घोषणा नियम 86(2) के अन्तर्गत क्रमांक एमओ/जीएन/ज्युडिशियल/2201/69 दिनांक 10.04.1960 एवं 2879 दिनांक 11.04.1969 को स्व. राम सिंह के वारिसान बाबत सरपंच ग्राम पंचायत कोनी सहित सार्वजनिक सूचना निकाली थी।

मैनेजिंग ऑफिसर, श्रीगंगानगर ने समुचित सुनवाई के पश्चात आदेश नं. एमओ/जीएन/ज्यूडिशियल/220/70 दिनांक 12.05.1970 दिया, जिसमें अप्रार्थीया जीतो पुत्री राम सिंह को एक मात्र वारिस घोषित किया गया, यह तथ्य निर्वाध सत्य है।

जिला पुर्नवास अधिकारी कम प्रबन्धक अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपेन्डिक्स 15 नियम 68 के अन्तर्गत कुमारी जीतो पुत्री रामूसिंह के नाम खातेदारी सनद संख्या 291 दिनांक 02.02.1988 को जारी कर दी, यह तथ्य भी निर्वावाद प्रमाणित है।

अप्रार्थीया जीतो के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में इन्तकाल संख्या 74 दिनांक 18.06.1984 बतौर खातेदारी दर्ज हुआ जो आज तक यथावत् चल रहा है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 02/2010 (GCMS No. 2010/00006)
शेबी बाई बनाम डीआरओ वगै.
विविध प्रकरण संख्या 120/2005 (GCMS No. 2005/00155)
शेबी बाई बनाम जीतो बाई वगै.
आदेश दिनांक 25.05.2026

प्रार्थीया शेबी बाई ने चीफ सेटलमैंट कमीश्नर, श्रीगंगानगर के न्यायालय में निगरानी संख्या 27/90 पेश की, प्रार्थिया की निगरानी सनद के विरूद्ध खारिज की जा चुकी है।

प्रार्थीया ने जिला पुर्नवास अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 23.05.1989 को खारिज किया गया। इसके विरूद्ध अपील के पश्चात अप्रार्थीया के पक्ष में श्रीमान् ने दिनांक 14.06.1994 को फैसला सुनाया।

शेबी बाई ने अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील पेश की थी, जो श्रीमान्जी के न्यायालय द्वारा अपील संख्या 29/89 शेबी बाई बनाम डीआरओ आदि दिनांक 23.03.1995 को खारिज कर दी गई।

शेबी बाई ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अप्रार्थीया जीतो बाई के विरूद्ध माल नम्बर 76/97 पेश की जो 28.02.1997 को खारिज कर दी एवं शेबी बाई का विविध प्रार्थना पत्र 72/97 दिनांक 10.06.1997 को खारिज कर दिया एवं शेबी बाई द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पुनरावेदन संख्या 48/97 पेश किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2000 को खारिज किया जा चुका है।

प्रार्थीया शेबी बाई ने अप्रार्थीया के विरूद्ध इसी भूमि के सम्बन्ध में फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया था जो पुलिस जांच में झूठा पाया जाने के आधार पर अप्रार्थीया के पक्ष में एफ.आर. लगी। इस प्रकार गत 34 वर्षो से इस भूमि के सम्बन्ध प्रार्थिया के हक में किसी भी अदालत ने निर्णय नहीं सुनाया है।

प्रार्थीया ने श्रीमानजी के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिसके आधार पर यह विश्वास किया जा सके कि राम सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति लबाना सिख की चक 1 एच बड़ा के मुरब्बा नं. 25 की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि में उसका हक व अधिकार है।

प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया है कि वह बम्बई चली गई थी, परन्तु प्रार्थीया ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है कि वह कब मुम्बई गई, कब वापिस आई तथा इतने साल तक अपने अधिकार के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। प्रार्थीया के मन में लालच आ गया है इसलिए वह अप्रार्थीया की जमीन हड़पने के लिये अन्य व्यक्तियों से मिलकर झूठी कार्यवाही कर रही है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थीया, रामू सिंह की लड़की होना प्रमाणित नहीं है और न ही प्रार्थीया या अन्य किसी द्वारा वारिसनामा दिनांक 12.05.1970 को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है, इसलिए प्रार्थीया की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि राम सिंह उर्फ रामू सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति लबाना सिख को चक 1 एच के मुरब्बा नं. 25 में 12 बीघा 05 बिस्वा भूमि नॉन क्लेमैंट के रूप मे आवंटित हुई थी। रामसिंह/रामूसिंह का स्वर्गवास वर्ष 1968 एवं सुधी बाई पत्नी रामू सिंह का स्वर्गवास 1966 में हो गया था। रामूसिंह की मृत्यु से पूर्व उसने अपनी तीन पुत्रियों की शादी कर दी थी तथा चौथी पुत्री जीतो बाई जो करीब 4-5 वर्ष की नाबालिग थी, अपने ताया स्वरूप सिंह के संरक्षण में रहती थी। स्वरूप सिह ने ही दिनांक 12.05.1970 को अकेले जीतो बाई के नाम से वारिसनामा तैयार करवाया जाना प्रतीत होता है। शेबी बाई को उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर उसने दिनांक 05.07.1986 को निगरानी पेश कर अप्रार्थी संख्या 2- जीतो बाई के नाम से दिनांक 02.02.1980 को जारी सनद संख्या 291 को निरस्त कर, निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 2 ता 4 के नाम के नाम से सनद जारी करने की प्रार्थना की थी। जिस पर कलक्टर एवं प्राधिकृत चीफ सैटलमैंट आफिसर, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 06.10.1987 से निम्न आदेश पारित किया :

> बहस पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 3 व 4 की ओर से स्वयं को मृतक राम सिंह की पुत्रियां होना साबित करने के लिए कोई साक्ष्य या सबूत इस न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी सूरत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किए है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः यह निगरानी निराधार होने से खारिज की जाती है। जिला पुर्नवारा अधिकारी को यह निर्देश दिये जानते है कि यदि अप्रार्थीया संख्या 3 व 4 मृतक की पुत्रियां होने के सम्बन्ध में कोई उनके समक्ष पेश करें तो वह पूर्ण जांच के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 02/2010 (GCMS No. 2010/00006)
शेबी बाई बनाम डीआरओ वगै.
विविध प्रकरण संख्या 120/2005 (GCMS No. 2005/00155)
शेबी बाई बनाम जीतो बाई वगै.
आदेश दिनांक 25.05.2026

प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 3 व 4 के द्वारा मृतक राम सिंह की पुत्रियां होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रार्थीया की निगरानी खारिज कर, जांच हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था।

सैटलमैंट कमीश्नर (पुर्नवास) एवं अति. जिल कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 04.09.2004 के पृष्ठ संख्या 02 के पैरा संख्या 04 पर निम्नानुसार अंकित किया है :

> प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार, गंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट एवं सरपंच कोनी उप सरपंच, ग्राम पंचायत कोनी की तस्दीक के अनुसार मृतक रामसिंह उर्फ रामू सिंह की चार लड़किया 1. आसूदी बाई 2. शेबी बाई 3. शान्ति बाई 4. जीतो बाई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं है।

सैटलमैंट कमीश्नर (पुर्नवास) एवं अति. जिल कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.09.2004 के प्राप्त होने पर पर, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2005 को निगरानी डी.पी संख्या 01/2005 दर्ज हुई और दिनांक 31.03.2005 को विवादग्रस्त भूमि किसी प्रकार से रहन बैय न करने के आदेश दिये गये थी।

केन्द्र सरकार द्वारा डिस्पेस्ड पर्सन्स(कलेम्स) एण्ड अदर मिसलनियस प्रोविजंस एक्ट 2005 (एक्ट नं. 38 सन् 2005) के द्वारा डी.पी.(सी.एण्ड आर) एक्ट 1954 (एक्ट नं.44) रिपील (निरस्त) कर दिया था और लम्बित कार्यवाहियों के संबंध में कोई सेविंग क्लॉज नहीं रखा गया था, इसलिए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कर दी थी और राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के अनुसार उक्त आधार पर निरस्त किये गये मामलों में पुनः विधिवत् कार्यवाही के निर्देश प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः 02/2010 के रूप दर्ज हुआ।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 02 / 2010 (GCMS No. 2010/00006)
शेबी बाई बनाम डीआरओ वगै.
विविध प्रकरण संख्या 120 / 2005 (GCMS No. 2005/00155)
शेबी बाई बनाम जीतो बाई वगै.
आदेश दिनांक 25.05.2026

पत्रावली में उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 02.12.1996 के पृष्ठ संख्या 03 के अन्तिम पैरा में निम्नानुसार अंकित है :

राम सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी तीन लड़कियों की शादी कर दी थी और वर्ष 1968 में राम सिंह ने अपनी कृषि भूमि नवल सिंह एवं गहला सिंह को हिस्से ठेके पर दे रखी थी। रामसिंह की मृत्यु के समय जीतो अपने ताया स्वरूप सिंह के पास रहती थी उस समय जीतो की आयु करीब 4–5 वर्ष थी। राम सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी जमीन की कोई वसीयत आदि नहीं की हुई थी। स्वरूप सिंह ने जीतो बाई को अकेला वारिस रामू सिंह का बताकर उसके नाम से 1970 में वारिसनामा बनवाया और 1974 में जीतोबाई की शादी चरन सिंह पुत्र नवल सिंह के साथ कर दी। इस प्रकार रामूसिंह के पुत्र चरण सिंह से स्वरूप द्वारा जीतो की शादी कर देने से जमीन अप्रत्यक्षतः नवल सिंह के कब्जे में ही रह गई । वारिसनामा 12.05.1970 जब जारी करवया गया, उस समय जीतो बाई नाबालिग थी। उसकी ओर से समस्त कार्यवाही जीते के ताया, जिसके संरक्षण में जीतो रहती थी– स्वरूप सिंह द्वारा की गई प्रतीत होती है।

उक्त आदेश से पता चलता है कि जीतो बाई के ताया स्वरूप सिंह को ज्ञात था कि रामू सिंह सिंह की तीन अन्य पुत्रिया भी है, परन्तु उसके द्वारा जानबूझकर मात्र जीतो बाई के नाम दिनांक 12.05.1970 को वारिसनामा जारी करवा है।

सैटलमैंट कमीश्नर (पुर्नवास) एवं अति. जिल कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.09.2004 के अनुसार भी मृतक रामसिंह उर्फ रामू सिंह की चार लडकिया 1. आसूदी बाई 2. शेबी बाई 3. शान्ति बाई 4. जीतो बाई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त डीबी सिविल रिट पेटीशन सं0 2581 / 88 बखुराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 20.09.88 के अनुसार नॉन कलेमेंट के रूप में आवंटित भूमि में सभी सदस्यों का बराबर का हक माना है। इसलिए राम सिंह को नॉन क्लेमेंट के रूप में चक 1 एच मे आवंटित मुरब्बा नम्बर 25 में 12 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर चार लड़किया 1. आसूदी बाई 2. शेबी बाई 3. शान्ति बाई 4. जीतो बाई, का बराबर का हक बनता है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता शेबी बाई की निगरानी स्वीकार की जाती है। जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 291 दिनांक 02.02.1980 निरस्त की जाती है और निगरानीकर्ता शेबी बाई एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ता 4 – जीतो, आसुदी बाई एवं शान्ति बाई को विवादग्रस्त भूमि चक 1 एच मुरब्बा नम्बर 25 की 12.05 बीघा भूमि में बराबर बराबर का हकदार घोषित किया जाता है और **उक्त विवादग्रस्त भूमि की सनद उक्तानुसार चारों के नाम ¼–¼ भूमि की सनद जारी करने का आदेश दिया जाता है।**

प्रार्थीया शेबी बाई द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.2005 को चक 1 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 25 के 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय न करने के आदेश दिये गये थे, जिसकी अवहेलना करके अप्रार्थी जीतो बाई ने उक्त जमीन का बेचान 15.04.2005 को जगदेव सिंह पुत्र वसन सिंह जाति जटसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को जरिये बैयनामा कर दिया था, **बैयानामें के निस्तारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।** उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्रकरण में विचाराधीन हो तो उनको भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों सैटलमैंट कमिश्नर (पुर्नवास) एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर एवं जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को उनके न्यायालय का रिकॉड मय आदेश के साथ लौटाया जाये। आदेश की प्रति तहसीलदार, श्रीगंगानगर भी पालनार्थ भिजवाई जावे। **दोनों पत्रावलियों में आदेश की मूल प्रति रखी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर